तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2006 / 692 / भरतपुर</u>** **हजारीलाल बनाम गुलाबचन्द आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 13 नवम्बर, 2019</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 23–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अप्रार्थी कपूरचन्द ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रतिवादी / प्रार्थी हजारीलाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। दावा व जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से पी. डब्ल्यू.–1 कपूरचन्द, पी.डब्ल्यू.–2 मूलचन्द जैन, पी.डब्ल्यू.–3 जिनेश कुमार जैन तथा प्रतिवादी हजारीलाल की ओर से डी. डब्ल्यू.–1 प्रेमचन्द जैन पुत्र हजारीलाल के बयान दर्ज किये गये। वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–14 नियम–1(3) सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि बयनामा दिनांक 6–4–1983 व पोस्टकार्ड ता. 26–7–1982 को साक्ष्य में रिकार्ड पर लेना आवश्यक है। प्रतिवादी ने इसका जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्षों को सुनकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2006 / 692 / भरतपुर</u>** **हजारीलाल बनाम गुलाबचन्द आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9–5–2005 को निर्णय प्रदान करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र तीन सौ रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के विरूद्ध एक निगरानी संख्या–2005/2518 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 12–8–2005 को किया गया जिसके द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया कि **''स्पीकिंग आर्डर''** पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–1–2006 को प्रार्थना पत्र तीन सौ रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–1–2006 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि कथित दस्तावेज विवादित भूमि के संबंध में नहीं हैं तथा वाद से एवं विवादित बिन्दुओं से कोई ताल्लुख नहीं रखते हैं। पेश किये गये दस्तावेज एक पोस्टकार्ड दिनांक 26–7–1982 व एक मकान की रजिस्ट्री है जिनका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को स्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः निगरानीधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते	

हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत है। जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वे विवादित भूमि के संबंध में ही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें रिकार्ड पर लेने का आदेश प्रदान किया है। प्रार्थी के पास **''रिबटल''** का अवसर है वह चाहे तो इन दस्तावेजों के विरूद्ध कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि किता 17 रकबा 8.76 हैक्टेयर के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है जिसमें उसने स्वयं को अपने मामा चन्दा उर्फ चन्दरमल का विधिक उत्तराधिकारी बताया है। इस संबंध में उसने प्रदार्श–1 पंजीकृत वसीयतनामा भी प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली में संलग्न है।

7– जो दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रस्तुत किये हैं उनमें एक पंजीकृत बयनामा दिनांक 6–4–1983 की सत्य प्रति है जिसमें अंकित किया है कि **''दिनांक 3–8–1968 को मिन मुकिर (प्रेमचन्द जो कि प्रतिवादी हजारीलाल का पुत्र है) की बुआ के लड़के कपूरचन्द पुत्र लक्खीराम जाति जैन निवासी कस्बा बयाना ने तथा मुझ**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2006 / 692 / भरतपुर</u>** **हजारीलाल बनाम गुलाबचन्द आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकिर ने निस्फ निस्फ हिस्से की मालियत के लिहाज से इस प्लाट को जिसमें यह जायदाद निर्माण कराई है। कृषि उपज मण्डी समिति बयाना से प्लाट कराया था हम दोनों ने मिलकर आधी आधी लागत लगाकर उपरोक्त जायदाद को इस तरीके से निर्माण कराया है कि इस जायदाद को हम पृथक पृथक अपने अपने भाग को इस्तमाल में ले लें।'' इस प्रकार इस बयनामा से यह तो सिद्ध होता है कि वादी कपूरचन्द तथा प्रतिवादी हजारीलाल के पुत्र प्रेमचन्द जो कि गवाह डी.डब्ल्यू.–1 भी है, के मध्य कुछ जायदाद शामलाती थी और दोनों का निस्फ निस्फ हिस्सा था। इस बयनामा का विवादित भूमि से कुछ तो सम्बन्ध होगा। वादी को अपना दावा सिद्ध करना है और यदि उसे सिद्ध करने के लिये वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा करने की उसे अनुमति दी जानी चाहिये। विपक्षी को **''रिबटल''** का अवसर उपलब्ध है। वह भी अपने पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को स्वीकार कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। 8– फलस्वरूप निगरानी सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरिशंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2006 / 692 / भरतपुर</u>** **हजारीलाल बनाम गुलाबचन्द आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए